


अपखण्ड

9-12-21 पत्रावली पेशा दुई/ पाथी एवंकील
पाथी उपास्थित / वूं कि मूल वाद विद्वा
करने की अनुमति दी जा चुकी है और
उक्त पाथना-प्र में कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं होने से पाथी का पाथना-
प्र खारिज किया जाता है
पत्रावली फैंसल बुमार होकर नम्बर
से कम हो


उपखण्ड अधिकारी
रूपनाथ (अन्वय)

